

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय, एनएचएम स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 20 (119-III)/NHM/HRD/2019/ 578

Date: 08.03.2019

आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संविदा काउन्सलर के पद पर कार्यरत कार्मिको का रिलोकेशन पॉलिसी आदेश क्रमांक 499 दिनांक 02.03.2010 के बिन्दु संख्या 1(iv) में निहित प्रावधानो के तहत निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से रिलोकेशन किया जाता है:-

क्रसं.	नाम व पदनाम	रिलोकेशन कहां से	रिलोकेशन कहां को
1	प्रहलाद खटीक काउन्सलर (एनसीडी)	सीएचसी गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	सीएचसी आसीन्द, भीलवाड़ा
2	सांवर लाल पुरोहित काउन्सलर (एनसीडी)	सीएचसी आसीन्द, भीलवाड़ा	सीएचसी गुलाबपुरा, भीलवाड़ा
3	तेजभान पाण्डे काउन्सलर (आरकेएसके)	सीएचसी सरेडी बड़ी, बांसवाड़ा	सीएचसी हाड़ौती, करौली

(डॉ. समित शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक एनएचएम।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. स्टेट नोडल ऑफिसर-एनसीडी जयपुर।
6. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
7. सलाहकार-आरकेएसके, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित जोन।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले।
10. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, संबंधित जिले।
11. ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम संबंधित जिले।
12. वर्णित संविदा कार्मिक को पालनार्थ।
13. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते समस्त संबंधितो को ई-मेल करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम